प्रेस विज्ञप्ति

14.05.2024.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 10.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विपुल शिपयार्ड पी लिमिटेड,गोवा,मेसर्स विपुल शिपिंग इंजीनियरिंग वर्क्स, गोवा और इसके निदेशकों के 12.20 करोड़ रु.(लगभग) की संपत्ति, जिसमें प्रतिभूतियों,आयातित मशीनरी, बैंक शेष और 2 लैंडिंग बार्जों सहित 35 चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य रु 10.07 करोड़ रुपये और 4 अचल संपत्तियां जिनका मूल्य 2.13 रु. है,अनंतिम रूप से कुर्क किया |

ईडी ने भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं, जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं, के तहत सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की|

सीबीआई, कोचीन द्वारा दायर चार्जशीट से यह देखा गया कि वर्ष 2004-2010 के दौरान, श्री जेवीएस राव, तत्कालीन उपाध्यक्ष, एससीआईएल मुंबई ने मैसर्स विपुल शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड गोवा (वीएसपीएल) और उसके निदेशकों के साथ संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) के लिए छह 200 यात्री क्षमता लैंडिंग बार्जों के निर्माण के लिए वीएसपीएल, गोवा को शिप बिल्डिंग अनुबंध देने के मामले में आपराधिक साजिश रचा। उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, जहाज निर्माण अनुबंध एक अपात्र फर्म को दिया गया था। मेसर्स वीएसपीएल, गोवा जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, जिनके पास अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त वित्तीय स्थिति है और इस तरह के जहाजों के निर्माण का कोई पिछला अनुभव नहीं है।नतीजतन, वीएसपीएल, गोवा, तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार लैंडिंग बार्जों का निर्माण नहीं कर सका (ड्राफ्ट की लंबाई 0.7 मीटर से बढ़कर 1 मीटर हो गई और गति 8 नॉट से घटकर 5 नॉट हो गई) और जिससे जहाज खरीदार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। बिल्डर निर्धारित अवधि के भीतर जहाजों को आपूर्ति करने में भी सक्षम नहीं था। आज भी जहाज बिल्डर के कब्जे (कस्टडी) में है। नतीजतन, पीएसयू को 12.20 करोड़ रुपये की राजस्व हानि (लगभग) हुई|

ईडी जांच से पता चला कि आरोपी इकाई और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी से दस्तावेजों को जाली करके एससीआईएल से जहाज निर्माण अनुबंध प्राप्त किया और इस तरह बैंक गारंटी का नवीनीकरण किए बिना मेसर्स एससीआईएल से लगभग 12.20 करोड़ रुपये प्राप्त किए। इस प्रकार कंपनी द्वारा उत्पन्न अपराध की आय,जो निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में विपथित (डायवर्ट) किए गए थे, का ईडी दवारा पता लगाया गया और अनंतिम रूप से कुर्क किया गया |

आगे की जांच चल रही है।